



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249715
CG-DL-E-26102023-249715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4513]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945

No. 4513]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4700(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड', (PAN AAEAT9368D), तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित एक बोर्ड, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) प्राप्त उपकर;
- (ख) भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों से पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क संग्रह; और
- (ग) बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, -

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए संगत है।

[अधिसूचना सं. 93/2023 फा. सं. 196/26/2022-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

विवरणात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।